शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी, ...

07.03.23 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित। बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि है, प्रार्थी मौके पर 1/8 हिस्से पर काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। अतः मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा कन्फर्म की जावे। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब को ही बहस मानने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.3.23 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

[signature] 07.3.23

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:57:41 IST
Reason: SelfAttested